सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{03 फाल्गुन, 1942 (शः)}}{\text{22 फरवरी, 2021 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या **78**

(1) गृह विभाग	..	..	48
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	10
(3) वित्त विभाग	..	..	02
(4) उद्योग विभाग	..	..	06
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	01
(6) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	..	..	03
(7) मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	..	..	02
(8) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	05
(9) निगरानी विभाग	..	..	01
		कुल योग --	78

थाना का निर्माण कराना

*1. श्री शम्भु नाथ यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ब्रम्हपुर प्रखंड के ब्रम्हपुर में पुलिस थाना बहुत ही पुराना है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिसमें पुलिसकर्मियों के लिये शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार ब्रम्हपुर थाना के लिये भूमि अधिग्रहण कर नये सिरे से थाना का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6832, दिनांक 23 जुलाई, 2020 के द्वारा सरकारी सेवकों को पचास वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर उनके कार्य क्षमता की जाँच कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग सभी सरकारी विभागों में सरकारी सेवकों की कमी रहने के कारण सरकारीकर्मियों पर कार्य का अतिरिक्त बोझ रहने से उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विभागों में कार्यरत सरकारी सेवकों पर कार्य का अधिकतम बोझ कम किये बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश का क्या औचित्य है ?

निर्माण करवाना

*3. श्री मुरारी प्रसाद गौतम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी जिलों में थाना द्वारा पकड़ी गई जब्त गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़ा कर देने से हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है तथा यातायात भी प्रभावित रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जब्त गाड़ियों के लिये परिसर का निर्माण करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया राशि का भुगतान

*4. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा में कानपुर सुगर वर्क्स ने 1904 में चीनी मिल की स्थापना की थी, परंतु उक्त मिल के बंद होने के कारण मढ़ौरा, पानापुर, इसुआपुर, तरैया, मशरख, बनियापुर, अमनौर, मकेर, परसा, दरियापुर एवं नगरा प्रखंड के गाँवों के किसानों एवं मजदूरों के करीब 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त चीनी मिल द्वारा किसानों एवं मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुरक्षा कर्मी की तैनाती

*5. श्री (डॉ0) रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सरपंचों द्वारा ग्राम-कचहरी में स्थानीय वादों का निपटारा किया जाता है, परन्तु ग्राम-कचहरी में सुरक्षा कर्मी की प्रतिनियुक्ति नहीं होने के कारण सरपंचों द्वारा वादों को निपटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के प्रत्येक ग्राम-कचहरी में पुलिस की तैनाती कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गन्ना का मूल्य निर्धारण

*6. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में गन्ना का मूल्य विगत तीन सालों से उच्च कोटि का 310 रुपये, सामान्य श्रेणी का 290 रुपये और निम्न कोटि का 265 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बना हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2020-21 पेराई सत्र में विगत तीन महीनों से चीनी मिलें चल रही हैं, लेकिन सरकार ने अबतक गन्ना मूल्य निर्धारण नहीं किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गन्ना का मूल्य बढ़ाकर इस सत्र में पुनर्निर्धारित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 खोलना

*7. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत नरंगा पंचायत उत्तरी एवं दक्षिणी में ओ0 पी0 नहीं रहने तथा यहाँ से बेला थाना की दूरी 15 किलो मीटर होने के कारण विगत पाँच वर्षों से आपराधिक घटनाएँ होती है, यदि हाँ, तो सरकार नरंगा पंचायत उत्तरी या दक्षिणी में ओ0 पी0 कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल को पुनः चालू कराना

*8. श्री अवध बिहारी चौधरी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला में स्थित एस0 के0 जी0 चीनी मिल एवं न्यू सिवान चीनी मिल वर्ष 1985 से बंद होने के कारण उक्त क्षेत्र के गन्ना किसान, गन्ना को औने-पौने भाव में बेचने के लिये विवश हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों बंद चीनी मिल को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई सिवान एवं न्यू सावन क्रमशः 1993-94 एवं 1991-92 से बंद है । इन दोनों चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना का निष्पादन मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज एवं उत्तर प्रदेश की चीनी मिल मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान सुगर लि0, प्रतापपुर द्वारा किया जाता है ।

बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई सिवान एवं न्यू सावन के जमीन को सरकार के निर्णयानुसार बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित कर दिया गया है । यदि कोई निवेशक इन मिलों को चालू करना चाहते हैं, तो सरकार जरूर विचार करेगी ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*9. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण के कोटवा प्रखण्ड अन्तर्गत बथना पंचायत के मठबनवारी चौक के निकट स्थित कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी नहीं होने के कारण साम्प्रदायिक तनाव की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*10. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखण्ड कार्यालय में पदस्थापित श्री दीपनारायण साह, लिपिक का स्थानांतरण जिला पदाधिकारी अररिया के पत्रांक 535, दिनांक 11 जुलाई, 2019 द्वारा अनुमंडल कार्यालय, अररिया में कर दिया गया है जबकि वे जोकीहाट प्रखण्ड कार्यालय में कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार का प्रावधान है कि एक स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय तक पदाधिकारी एवं कर्मचारी नहीं रह सकते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त लिपिक का स्थानांतरण अनुमंडल कार्यालय, अररिया में होने के बावजूद प्रखण्ड कार्यालय जोकीहाट में पदस्थापित रहने का क्या औचित्य है, नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग में शामिल करना

*11. श्री राजेश कुमार गुप्ता--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में समाजिक तौर से पिछड़े वैश्य वर्ग के कलवार, सुरी, रोनियार, पोद्दार, स्वर्णकार, बरनवाल जातियाँ पिछड़े वर्ग में सूचीबद्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जाति समाजिक तौर से बहुत ही कमजोर एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के श्रेणी के लिए सभी अर्हता रखती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में उक्त जाति को पिछड़े वर्ग से विलोपित कर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मिल की स्थापना करना

*12. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर के बिहार स्पन सिल्क मिल एवं विक्रमशिला स्पीनिंग मिल के वर्षों से बंद होने के कारण हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पुराने बंद पड़े मिलों को पुनः चालू करने या नये यार्न मिल की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा लगाना

*13. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार विधान सभा क्षेत्र (तत्कालीन सोनवरसा विधान सभा) से वर्ष 1985 में जननायक स्व0 कर्पूरी ठाकुर विधायक निर्वाचित हुए थे एवं इसी कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, यदि हाँ, तो सरकार परिहार प्रखण्ड मुख्यालय या उसके सामने सरकारी जमीन पर जननायक स्व0 कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिथि गृह बनाना

*14. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत तरैया प्रखंड जिला मुख्यालय छपरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है एवं उक्त प्रखंड नारायणी नदी के किनारे है, लेकिन जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के ठहरने के लिए निरीक्षण भवन/अतिथि गृह नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार तरैया प्रखंड मुख्यालय में निरीक्षण भवन/अतिथि गृह बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फूड प्रोसेसिंग उद्योग खोलना

*15. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा एवं खगड़िया जिला में मक्के की खेती किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग नहीं होने के कारण किसानों को अपने फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त दोनों जिला में मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*16. श्री मनोज यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को ग्राम जनकपुर, जिला-बाँका निवासी श्री फनटुश यादव की पुलिस फायरिंग में निर्मम हत्या कर दी गई जिसकी प्राथमिकी 557/19 दिनांक 02 नवम्बर, 2019 थाना-अमरपुर जिला-बाँका में उनके परिवार द्वारा दर्ज की गई है लेकिन अबतक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने एवं पुलिस फायरिंग की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*17. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखण्ड-कोटवा के जसौली पंचायत में खजुरिया शेख टोली ग्राम में स्थित क़ब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान में अवैध अतिक्रमण तथा सांप्रदायिक तनाव की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जेल से मुक्त करना

*18. श्री रित लाल राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के जेलों में बंद कई कैदी 75 वर्ष से अधिक उम्र के है, जो वृद्ध एवं अस्वस्थ होने के कारण मानसिक रूप से बीमार है तथा अपना दैनिक एवं नित्यकर्म करने में लाचार है, यदि हाँ, तो सरकार मानवीय आधार पर 75 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को राज्य की जेलों से कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*19. श्री विनय कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड के पकरी पंचायत के ग्राम-मोरहर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बौद्ध मंदिर को खोलना

*20. श्री कुमार सर्वजीत--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "बौद्ध मंदिर बंद रहने से श्रद्धालुओं में मायूसी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर सहित विभिन्न बौद्ध मंदिर को लॉक डाउन के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर महाबोधि मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिये पूर्व की भाँति खोल दिया गया है, जबकि अन्य बौद्ध मंदिर को नहीं खोला गया है, जिसके कारण पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसाय आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार बोधगया स्थित सभी बौद्ध मंदिर को खोलने हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*21. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के बोजगाँव पंचायत के बोजगाँव के पश्चिम तरफ गिरदा गाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्त की गिरफ्तारी

*22. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत वाणीपुर के ठदय प्रसाद मण्डल ने अपनी लड़की

की अपहरण संबंधी घटना के सिलसिले में मनिहारी थाना अभियोग संख्या 373/20 अंकित कराया है, जिसमें न तो अपहृत लड़की बरामद हुई है न अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अपहृता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

*23. डॉ० निक्की हेम्ब्रम--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला के कटोरिया एवं बौसी प्रखंडों में अधिकांश पठारी क्षेत्र होने के कारण कृषि योग्य भूमि नहीं है जिससे आदिवासी, पिछड़ी एवं अति पिछड़ी समुदाय की अधिसंख्य आबादी बेरोजगारी है, यदि हाँ, तो सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने हेतु इसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यात्रा भत्ता उपलब्ध कराना

*24. श्रीमती अरुणा देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों के अंगरक्षकों को यात्रा भत्ता मिल रहा है, किन्तु मेरे साथ प्रतिनियुक्त नवादा जिले के 3 (तीन) अंगरक्षकों को जिन्हें क्षेत्र से पटना या अन्य जगह पर जाना पड़ता है, को वर्ष 2016 से यात्रा भत्ता नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तीनों अंगरक्षकों को यात्रा भत्ता देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जेल का निर्माण कराना

*25. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्रखंड मुख्यालय में जेल निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2018-19 में दी गई थी, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अभीतक प्रारंभ नहीं की गई है जिससे व्यवहार न्यायालय का कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जेल निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण कर जेल निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*26. श्री विजय कुमार मण्डल--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दावत प्रखंड में पंचायत सहीनाव के ग्राम-महुआरी तथा कोवाथ नगर पंचायत के ग्राम-कोवाथ में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है, जिससे बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार ऊपर वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बंदियों की रिहाई

*27. श्री रित लाल राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में उम्र कैद की सजा प्राप्त सदाचारी बंदियों की रिहाई के लिये बिहार राज्य दंडाधिकार परिहार परिषद् गठित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त परिषद् की नियमित बैठक नहीं होने एवं जटिल प्रक्रिया के कारण कई कैदी सजा पूरी होने के बाद भी वर्षों से जेल में बंद रहते हैं तथा रिहाई की आस लगाये कई कैदियों की मृत्यु जेल में ही हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सदाचारी बंदियों की रिहाई करने संबंधी नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ?

इथेनॉल उद्योग स्थापित करना

'क'-*28. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला का वारिसलीगंज प्रखण्ड एक कृषि आधारित क्षेत्र होने के कारण यहां धान एवं गन्ना का फसल प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वारिसलीगंज पावर ग्रिड के बगल में 61 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त भूमि पर इथेनॉल उद्योग कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*29. श्री विजय शंकर दुबे--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल में तीन कार्यपालक दंडाधिकारी का पद तीन वर्षों से रिक्त है जिसके कारण जनता के प्रशासनिक कार्य सम्पादन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल में रिक्त पदों पर नियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*30. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत जिला अपर लोक अभियोजक दीनदयाल यादव की हत्या दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 को अदालत से घर लौटने के क्रम में हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व में बेगूसराय के अपर लोक अभियोजक स्व० राम नरेश शर्मा की हत्या के उपरांत दस लाख रुपये की मुआवजा उनके आश्रित को दी गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि स्व० दीनदयाल यादव के आश्रित को मुआवजा देने की अनुशंसा दिनांक 8 मार्च, 2011 को जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा की गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दीनदयाल यादव के आश्रितों को दस लाख रुपया मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट—'क'-उद्योग विभाग के पत्रांक 490, दिनांक 4 फरवरी, 2021 द्वारा गन्ना उद्योग विभाग में स्थानांतरित।

ट्रैफिक प्रणाली एवं पार्किंग स्थान बनाना

*31. श्री पवन कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव शहर में यातायात के लिये ट्रैफिक प्रणाली एवं पार्किंग स्थान नहीं होने के कारण विगत चार वर्षों से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ट्रैफिक जाम होने से स्कूल के बच्चों, मरीजों एवं आम लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कहलगाँव शहर में ट्रैफिक एवं पार्किंग स्थान की व्यवस्था कर यातायात को सुगम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*32. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड कुचायकोट के पंचायत जलालपुर में सुप्रसिद्ध बाजार स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार के समीप बैंक नहीं होने के कारण व्यवसियों को लेन-देने करने में काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर बैंक खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाना

*33. श्री मुहम्मद इजहार असफी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के सोंथा एवं बिशनपुर बाजार में सी.सी.टी.वी. नहीं लगे रहने के कारण आये दिन दुकानों में चोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में लिप्त अपराधी साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार दोनों बाजार के मुख्य स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विश्राम गृह का निर्माण

*34. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के उदाकिशनगंज अनुमंडल में अनुमंडल स्तर के कई कार्यालय है किन्तु माननीय सांसद, माननीय विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों के लिये ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि जिला मुख्यालय से अनुमंडल मुख्यालय की दूरी 40 कि०मी० है। यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल में विश्राम गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योगों को पुनः चालू करना

*35. श्री मुरारी प्रसाद गौतम--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले में पत्थर उद्योग, सिमेंट फैक्ट्री एवं रासायनिक खाद फैक्ट्री वर्ष 2003 से बंद पड़ा हुआ है जिसके कारण हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं तथा राजस्व की भी क्षति हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उद्योगों को पुनः चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा लगाना

*36. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी नगर परिषद् के सभी मुख्य चौक-चौराहों एवं मार्गों पर सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरे की व्यवस्था हेतु लगातार पाँच वर्षों से अनुरोध किया जा रहा है, परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई इस दिशा में नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र के सभी मुख्य चौक-चौराहों एवं मार्गों पर सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल का दर्जा दिलाना

*37. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर को 30 वर्ष पूर्व 1991 में अनुमंडल का दर्जा दिया गया था, परन्तु अभीतक व्यवहार न्यायालय, अनुमंडल कारा एवं अनुमंडलीय उप-कोषागार की स्थापना नहीं की गयी हैं, जिससे आम लोगों को भारी असुविधा हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक जयनगर को उक्त सुविधा प्रदान कर पूर्ण अनुमंडल का दर्जा प्रदान करना चाहती हैं, नहीं, तो क्यों ?

कम्पनी को शुरू कराना

*38. श्री मुकेश कुमार यादव--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रीगा में स्थित रीगा सुगर कम्पनी वर्ष 2020 में बंद हो गया है, जिससे सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला के लगभग 60 हजार किसान परिवार के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति आ गयी है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिये उक्त कम्पनी को कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि रीगा सुगर कम्पनी लि0, रीगा, सीतामढ़ी एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है । इस चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2020-21 का परिचालन नहीं किया गया है । रीगा चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के गन्ने का सामयिक निष्पादन हेतु विभागीय आदेश संख्या 77, दिनांक 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से सिधवलिया चीनी मिल, गोपालगंज, विष्णु चीनी मिल, गोपालगंज एवं मझौलिया चीनी मिल, पश्चिम चम्पारण को रीगा चीनी मिल क्षेत्र में क्रय केन्द्र आवंटित कर गन्ने का उठाव एवं ईख मूल्य भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है ।

अँगिका भाषा को सम्मिलित करना

'ख'-*39. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में अँगिका भाषा भागलपुर, मुंगेर, पूर्णियाँ, सहरसा जिला सहित अन्य जिलों की 3 से 4 करोड़ आबादी द्वारा बोली जाती है लेकिन आजतक बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग सहित राज्य के अन्य आयोगों की परीक्षा में अँगिका भाषा में परीक्षा देने की मान्यता प्रदान नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अँगिका भाषा को मान्यता प्रदान कर राज्य में आयोजित होने वाली आयोग की परीक्षाओं में अँगिका भाषा को सम्मिलित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ दिलाना

*40. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जन-जाति उद्यमी योजना लागू की गई है जिसमें 10 लाख के लोन में 5 लाख सब्सिडी है, तथा 84 बराबर किस्तों में भुगतान करने का प्रावधान है, किन्तु पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग सहित सामान्य वर्ग के युवा बेरोजगारों के लिये जो अपना रोजगार चालू करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन देने का प्रावधान नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा तथा सामान्य वर्गों के बेरोजगारों के लिये भी इस योजना का लाभ दिलाने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना प्रारंभ करना

*41. श्री दामोदर रावत--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3231, दिनांक 11 अप्रील, 2014 के द्वारा एस० आर० ई० योजना के तहत जमुई जिला में दिग्घी थाना, पैतृक थाना-लक्ष्मीपुर की स्वीकृति प्रदान की गई थी जो आजतक प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार दिग्घी थाना, पैतृक थाना-लक्ष्मीपुर को कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*42. श्री मुहम्मद इजहार असफी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधाम एवं किशनगंज प्रखंड के बरारो (पिछला पंचायत) में कब्रिस्तान एवं मोहरा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं के द्वारा कब्र को क्षत-विक्षत कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ख'-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक 26, दिनांक 10 फरवरी, 2021 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानांतरित ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*43. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के बंजरिया प्रखण्ड के सेमरा पंचायत के ग्राम-बेलाछपरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के फलस्वरूप असामाजिक तत्वों एवं अवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पंचायत को थाना से जोड़ना

*44. श्री अवध बिहारी चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के नवतन प्रखंड के नवतन थाना में पचलाखी पंचायत से थाना की दूरी 15 कि0मी0 होने के कारण पचलाखी पंचायत में चोरी, डकैती आदि अपराधी घटनाओं पर काबू करने में थाना प्रशासन को काफी कठिनाई होती है, जबकि पचलाखी पंचायत मुफस्सिल सीवान थाना से 8 कि0मी0 है, यदि हाँ, तो सरकार पचलाखी पंचायत को मुफस्सिल सीवान थाना में कबतक जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी की स्थापना

*45. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मुरलीगंज प्रखंड के प्रसादी चौक पर पुलिस चौकी नहीं रहने से आये दिन चोरी, डकैती, छिनतई आदि की घटनाएं घटित होती रहती है जबकि इस चौक से मुरलीगंज थाना की दूरी 10 कि0मी0 है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पुलिस चौकी की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*46. श्री अजय कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर प्रखण्ड में स्थित ऋषिकुंड के खंडहरों में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं किए जाने से वहां जाने वाले श्रद्धालु/पर्यटक भयाक्रांत रहते हैं और यहां पर्यटकों की संख्या घटती जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कायम कर ऋषिकुंड के खंडहरों में पर्यटकों के लिए भयमुक्त वातावरण बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*47. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत थाना-चौसा के अधीन ग्राम-फुलौत में एक पुलिस फाड़ी (ओ0 पी0) का अपना भवन नहीं होने के कारण पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को काफी दिक्कत होती है, यदि हाँ, तो सरकार पुलिस फाड़ी (ओ0 पी0) फुलौत के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सद्भाव मंडप का निर्माण कराना

*48. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के बंजरिया प्रखंड में विभागीय आदेश के आलोक में ब्लॉक कैम्पस में ही सद्भाव मंडप का निर्माण कराने हेतु विगत 7 माह पूर्व में पत्र निर्गत किया गया है, जबकि बरसात के समय में 3-4 माह तक प्रखंड कार्यालय जलमग्न रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना को सिर्फ अल्पसंख्यकों के विकास हेतु सिर्फ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में ही देने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विभागीय स्तर पर निर्गत पत्र को तत्काल रद्द करते हुए उक्त योजना को अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले स्थान पर निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई

*49. श्री छोटे लाल राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पं० चम्पारण जिला के थाना-बेतिया नगर में पंकज कुमार उर्फ पिन्टु एवं दिपेन्द्र विक्रम साह के विरुद्ध प्राथमिकी 672/18, दिनांक 3 अगस्त, 2018 को भा०द०वि० की धारा 406, 420, 467, 468, 386, 387, 120 बी० के तहत दर्ज है लेकिन दोषी अभियुक्त की गिरफ्तारी आजतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोषी अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना प्रारम्भ करना

*50. श्री दामोदर रावत--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3231, दिनांक 11 अप्रील, 2014 के द्वारा एस०आर०ई० योजना के तहत जमुई जिला में दुआरी पहाड़ी थाना, पैतृक थाना-झाझा की स्वीकृति प्रदान की गई थी जो आजतक प्रारम्भ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार दुआरी पहाड़ी थाना को कबतक प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सहायता उपलब्ध कराना

*51. श्री सुधाकर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राम सुरेश साह, कैमूर जिला, गृह रक्षक बल संख्या 150636 का चुनाव ड्यूटी के दौरान कटिहार जिला में दिनांक 16 नवम्बर, 2020 को मृत्यु हो गई, जबकि सरकार के द्वारा उनके परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता अभीतक नहीं दी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गृह रक्षक के परिवार को सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन में कार्यालय संचालित करना

*52. श्री विजय कुमार--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा मुख्यालय में सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय संचालित करने हेतु 3 वर्ष पूर्व भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया, परन्तु अभीतक विभाग द्वारा कार्यालय का संचालन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित भवन में कार्यालय संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय खोलना

*53. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया एवं पताही प्रखंड सहित राज्य के अन्य प्रखंडों में भी पत्रकारों के लिये पत्रकार भवन (कार्यालय) नहीं होने से उन्हें समाचार संकलन करने में भारी कठिनाई होती है । यदि हाँ, तो सरकार प्रखंड स्तर के पत्रकारों के लिये कबतक पत्रकार भवन या कार्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*54. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा के अधीन प्रखंड उदाकिशुनगंज अन्तर्गत ग्राम-रहटा दक्षिण कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*55. श्री छत्रपति यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर स्थित कृष्णापुरी थाना अंतर्गत युवराज, पिता श्री संतोष कुमार, राजीव नगर की दिनांक 29 मार्च, 2019 के डॉक्टर के० के० कंठ, बोरिंग रोड, पटना में हाइड्रोसील का ऑपरेशन के लिये एनेस्थेसिया देने से मृत्यु हो गयी, जिसके संबंध में कृष्णापुरी थाना में काण्ड संख्या 106/2019 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डॉक्टर के० के० कंठ के ऊपर कार्रवाई करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, डी० जी० पी० डी० आई० जी०, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं गृह सचिव को अप्रैल, 2019 में बार-बार पत्र देने के बावजूद आजतक डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त काण्ड के अभियुक्त पर अभीतक कोई कार्रवाई नहीं होने का क्या औचित्य है ?

बैंक की शाखा खोलना

*56. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत टेटियाबम्बर प्रखंड के टेटिया ग्राम में कोई भी बैंक की शाखा नहीं रहने से आम जनता सहित व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हवाई सेवा प्रारंभ करना

*57. सुश्री श्रेयसी सिंह--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली है जहाँ देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत जमुई प्रखंड के लगमा ग्राम के पास हवाई अड्डा हेतु 20 एकड़ जमीन कर्णांकित है, परंतु हवाई सेवा चालू नहीं रहने के कारण आस-पास के लोगों द्वारा हवाई अड्डा की जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार हवाई अड्डा की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये जमुई से हवाई सेवा प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*58. श्री शम्भु नाथ यादव --क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के चक्की पुलिस थाना भरियार ग्राम में प्राईवेट भवन में चलता है, जिससे पुलिस कर्मियों को अपनी सुरक्षा एवं जनता की सुरक्षा करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के लिये जमीन का अधिग्रहण कर थाना भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*59. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड में खोंखा दक्षिण पंचायत के पेंक पारा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*60. श्री विनय कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड के पकरी पंचायत के ग्राम-गुड़रू में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सूचना भवन बनाना

*61. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला सहित पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सूचना भवन स्थापित है, जबकि प्रखण्ड मुख्यालयों में सूचना भवन नहीं है जिससे काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत गुठनी प्रखण्ड, आंदर प्रखण्ड और दरौली प्रखण्ड मुख्यालयों में सूचना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित प्रखण्ड सहित राज्य के सभी प्रखण्डों में सूचना भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन निर्माण कराना

*62. श्रीमती ज्योति देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत थाना चेरकी का अपना भवन और जमीन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्युत् विभाग की जमीन पर बने पुराने जर्जर मकानों में रहकर पुलिस अपना दायित्व निर्वहन कर रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जमीन उपलब्ध कराकर थाना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से निजात दिलाना

*63. श्री अजय कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत हवेली खड़गपुर प्रखंड के बढ़ौना पंचायत के गौरा ग्राम स्थित कब्रगाह में वर्षा के दिनों में जल-जमाव हो जाने के कारण पार्थिव शरीर के दफन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रगाह में मिट्टी भराई का कार्य कराकर जल-जमाव से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*64. श्री विजय कुमार मण्डल--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दावत प्रखण्ड मुख्यालय के बाजार में आये दिन जाम लगा रहता है, जिसके कारण आम जनता को आवागमन में काफी परेशानी होती है, जबकि प्रशासन द्वारा उक्त जाम से निजात दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जाम से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं शौचालय का निर्माण कराना

*65. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही प्रखंड के जिहुली पंचायत स्थित शिव मंदिर का प्रांगण कच्चा है तथा चहारदीवारी एवं शौचालय नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर के प्रांगण में पी०सी०सी० ढलाई करने तथा चहारदीवारी एवं शौचालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*66. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिले के फुलवारीशरीफ अंचल में आवेदन क्रमांक EWSCO/2020/112835 को For physical verification the candidate has not came in the office कारण बताकर अस्वीकृत कर दिया गया जबकि आवेदन आधार प्रमाणित था ;

(2) क्या यह बात सही है कि आर०टी०पी०एस० की ऑनलाइन व्यवस्था में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन की व्यवस्था पटना के फुलवारीशरीफ अंचल कार्यालय सहित पूरे राज्य में बनायी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पटना के फुलवारीशरीफ अंचल सहित राज्य के सभी अंचल कार्यालयों द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन की व्यवस्था करने के लिये जिम्मेवार अधिकारियों, कर्मचारियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*67. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार ज़िला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत वादी मंगरू यादव मेदनीपुर के आवेदन-पत्र के आधार पर अंकित मनिहारी थाना अभियोग संख्या 211/18 में झगरू यादव, इत्यादि के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या 467, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 समर्पित किया गया। उसी बात को लेकर आरोपित अभियुक्त झगरू यादव ने पूर्व कांड के वादी मंगरू यादव इत्यादि को अभियुक्त बनाते हुये मनिहारी थाना अभियोग संख्या 80/2020, धारा 120(बी)/420/467/468/471भा०द०वि० अंकित कराया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी ने इस सत्य घोषित कर अभियुक्त रमेश यादव को गिरफ्तार कराकर जेल भेज दिया गया, यदि हाँ, तो इसकी जाँच कराकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*68. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली थाना के गुंजन पासवान चौकीदार सर्किल नं० 6/8 ने दिनांक 30 जून, 2017 को स्वैछिक सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने पुत्र अशोक कुमार पासवान को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी को आवेदन दिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी, खजौली ने पत्रांक 617, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी ने अपने पत्रांक 1/3/2015/616/स्था०, दिनांक 23 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा मधुबनी को सेवानिवृत्त चौकीदार के आश्रित को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी गयी, परन्तु आजतक नियुक्ति नहीं की गयी है जबकि नियुक्ति करने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सेवानिवृत्त चौकीदार के आश्रित अशोक कुमार पासवान को चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मॉडल थाना भवन बनाना

*69. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत आन्दर प्रखंड के असाँव थाना का अपना भू-खण्ड और अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि असाँव थाना वर्तमान समय में गंडक की जमीन और गंडक के जीर्ण-शीर्ण अवस्था के भवन में संचालित हो रहा है, जो बिल्कुल असुरक्षित है, जबकि थाना के आस-पास में गैर-मजरूआ आम और बेलागानी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार असाँव थाना हेतु भू-खण्ड अधिग्रहित कर थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्देश जारी करना

*70. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों यथा जिलों में समाहरणालय, पुलिस अधीक्षक DRDA सहित जिलास्तरीय कार्यालयों के पोर्टिको को में पदाधिकारीगण की गाड़ी लगातार खड़ी रहती है, जिसके कारण जिला स्तर पर सरकारी कार्यालयों में जन-प्रतिनिधि या स्वतंत्रता सेनानी बरसात/कड़ाके की धूप में भी पोर्टिको से बाहर ही गाड़ी से उतरते हैं तथा पदाधिकारी की गाड़ी स्टेटस सिम्बल के रूप में पोर्टिको में खड़ी रहती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के जिलास्तरीय सहित किसी भी सरकारी कार्यालय के पोर्टिको में स्थायी रूप से गाड़ी खड़ा करने की कुव्यवस्था को समाप्त करने हेतु निर्देश जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*71. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर (झण्डापुर) थाना अन्तर्गत 24 अक्टूबर, 2020 को इंजीनियर आशुतोष पाठक को थाना प्रभारी रणजीत कुमार ने महंथ थाना चौक पर मारते-मारते गश्ती गाड़ी पर बैठाकर बिहपुर थाना ले गया एवं अधमरा का गंभीर अवस्था में परिवार को सुपुर्द कर दिया जिसकी दिनांक 25 अक्टूबर, 2020 को इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना प्रभारी रणजीत कुमार जो कांड संख्या 443/20 का अभियुक्त है आजतक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना प्रभारी को गिरफ्तार करने एवं विधवा स्नेहा पाठक को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*72. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के सिसौना कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी की स्थापना

*73. श्री (डॉ०) रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अन्तर्गत शीतलपुर बाजार के आस-पास के इलाकों में घनी आबादी आवासित है जो दिघवारा एवं दरियापुर थाना की सीमा पर अवस्थित है, दोनों थानों में सीमा विवाद के कारण विधि व्यवस्था संधारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण अपराधी घटना

को अंजाम देकर आसानी से भाग जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार शीतलपुर बाजार में एक पुलिस चौकी की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*74. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड के ग्राम-झुनाढ़ी में थाना बनवाने का प्रस्ताव वर्ष 2016 में सरकार द्वारा पारित है, किन्तु अबतक थाना भवन के लिये जमीन अधिग्रहण नहीं की गयी और ना ही अधिग्रहण हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार झुनाढी में नया थाना भवन कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरोप-पत्र समर्पित करना

*75. श्री छोटे लाल राय--क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग ज्ञापांक 3/निग० 08.01/2020 गृ०वि०-4126 पटना, दिनांक 17 जून, 2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, विहार, पटना को निगरानी थाना काण्ड संख्या 34/15, दिनांक 7 मई, 2015, धारा 408, 420, 467, 468, 471ए 120बी भा०द०वि० के अन्तर्गत दर्ज काण्ड के अभियुक्त श्री मिथलेश तिवारी के विरुद्ध आरोप-पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया था, लेकिन उक्त दोषी अभियुक्त के विरुद्ध निगरानी विभाग द्वारा आरोप-पत्र समर्पित नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोषी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र समर्पित कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र बनाना

*76. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट एवं पंचदेवरी प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं है, जिसके कारण जिला से प्रखंडों में अग्निशामक यंत्र के आने में अधिक समय लगता है, यदि हाँ, तो सरकार कुचायकोट एवं पंचदेवरी प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सूत मिल पुनः प्रारंभ कराना

*77. श्री नीतीश मिश्रा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल सूत मिल की स्थापना 1982 एवं व्यावसायिक उत्पादन 1987 में शुरू हुयी थी, जिसमें सूत बनाने की क्षमता 750 कि०ग्रा० प्रतिदिन थी जो वर्ष 1995 में बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ 750 कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हो रही है यदि हाँ, तो सरकार पंडौल सूत मिल को पुनः प्रारंभ कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*78. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखण्ड के मडवा ग्राम में स्थित बाबा बज्रलेवर धाम का प्रांगण कच्ची है एवं चहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाबा बज्रलेवर धाम के प्रांगण को पक्कीकरण करने एवं चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक 22 फरवरी, 2021 (ई०)।

बि०स०मु० - 96 (एल० ए०), 2020-21 डी०टी०पी० -550